विप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत जबाब में बताया गया कि उक्त स्थान पर कोई बारहमासी रास्ता चलता है जब खेत में फसल आदि नहीं होती है तो लोग सीधे खेत में से गुजरते है यह हमासी रास्ता नहीं है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र को बारहमासी रास्ता नहीं होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में ~~पटवारी हल्का द्वार~~ प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा से जबाब चाहे जाने पर पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच कर मौका फर्द प्रस्तुत की जिसमें मौके पर फसले खडी होना एवं प्रस्तावित स्थान रास्ता बंद होना बताया गया है। जो की विप्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत जबाब की पुष्टि करता है। अतः इस प्रस्तावित भूमि पर रास्ता घोषित किया जाना औचित्यपूर्ण एवं न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया ।

([illegible])
भू-अभिलेख अधिकारी,
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 610 / 2016

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तहसीलदार,पचपदरा		1. रामसिंह पुत्र भवानीसिंह, महावीरचंद पुत्र रिखबचंद, अल्लाबक्श पुत्र करीमखां, आसकंवर पत्नि रायसिंह, नारायणसिंह, भैरूसिंह पुत्र भीखसिंह, हेमकंवर पत्नि भीखसिंह, अमरसिंह पुत्र कोजराजसिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970

दिनांक:– 31.10.2017

आदेश

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया कि हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दौराने गश्त गिरदावरी ग्राम **बामसीण** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते / ग्रेवल सडक / डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते / सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग / उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज / तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **बामसीण** के ख0न0 कमशः 132 / 9, 47 / 9, 41 / 6, 6 रकबा कमशः 0.08, 0.10, 0.08, 0.08 बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते / सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार / खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया, विप्रार्थीगणों द्वारा अपना जबाब पेश किया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा